

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 45 अ-82/2017-18/4480

बैतूल दिनांक 9/10-10-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	घाटपिपरिया	5.552	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	फागु, राघो वल्द शिवजी, सुरेश वल्द राघो नान्हु, रामकिशोर वल्द रोन्धा भूरी, घुड़न पिता रोन्धा सा. देह	762/3	0.184	0.072
2	शिवपाल वल्द श्यामराव, इमरती, मखनी, हीरा पिता श्यामराव, लंकी पिता धुड़ल्या सा.देह	761/1	0.101	0.101
		761/3	0.334	0.090
3	मंगरया, बाबूलाल वल्द पन्ना पंवार सा.देह	762/1	1.154	0.795
4	पन्ना वल्द इठोबा, बाया बेवा इठोबा पंवार सा.देह भूमि	762/2	0.121	0.121
		758	1.173	0.573
5	दौलत वल्द धुड़ल्या, बटनी पिता धुड़ल्या सा.देह	761/2	0.589	0.345
6	सुरेश वल्द राघो पंवार सा. देह भूमिस्वामी	762/6	0.217	0.090
7	लखन वल्द सावन्या सा. देह भूमिस्वामी	762/4	0.217	0.090



क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
8	भभूतराम वल्द देवराव सा.देह भूमिस्वामी	818/4	0.040	0.030
9	मनाराम, मोहन, झनक वल्द धनजी, मोल्हा बेवा धनजी, लक्ष्मी तपसी, नौसी पिता धनजी, सुरेन्द्र नरेन्द्र वल्द सोजर मंजू पिता सोजर सा. देह	818/6	1.031	0.031
10	अमरूत वल्द देवराव पंवार सा. देह	818/11	0.081	0.081
11	बाबू वल्द भावजी, कमलिया, काशी पिता भावजी, रामचरण, राजेश, सुभाष वल्द मधु रामकली, गुडिया पिता मधु सा.देह	818/2	0.243	0.128
		818/7	2.264	0.370
		818/13	0.587	0.120
12	रावजी वल्द किसन सा.देह भूमिस्वामी	818/3	0.263	0.080
		818/12	0.809	0.323
13	जुगरू वल्द बिरज सुलको पिता बिरज, सा.देह	818/1	0.202	0.202
		818/5	0.040	0.010
14	हरि, हेमराज, मनोहर वल्द जोमा सा.देह	818/10	0.076	0.026
15	भागरती जौजे शिवपाल सा. देह भूमिस्वामी	851/2	0.045	0.033
16	शिवजी, तुकाराम वल्द अमरसिंह महेरा, रमेशकुमार, वल्द छोटेलाल, तेली, बलराम, पप्पू मनिराम वल्द रामदास बिरमती, ओझे पिता रामदास गनराज, मुन्ना हेमराज वल्द शंकर इन्द्रा, अंजनी पिता शंकर सा.देह	848	0.514	0.514
17	जसवंत वल्द शंकरसिंह रामकिसन धारा वल्द माधो रामप्यारी कुसुमवती पिता माधो सा. देह	847/2	0.212	0.212
		850/2	0.166	0.166
18	सुशीला जौजे रामलाल पंवार सा.देह	849	0.299	0.299
		850/6	0.150	0.150

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
19	कुंजीलाल रावजी व. ढोल मोधु शंकर व. रोन्या चेती बे. रोन्या रूखमी उजमी जमया पिता रोन्या सा. दुनावा सोजन व. पन्ना दोलत व. माधों पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	851/1	0.226	0.080
20	रामकिशन, धारा वल्द माधो, रामप्यारी, कुसुमवती पिता माधो जसवंत वल्द शंकरसिंह महेरा सा. देहु	847/1	0.424	0.220
		850/1	0.631	0.200
	कुल योग		12.393	5.552

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,



(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 45 अ-82/वर्ष 17-18/घाटपिपरिया / ५५४०
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक $\frac{9}{10}$ -04-2018

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत घाटपिपरिया तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग